निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ 1938 (श0)

(सं0 पटना 542) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016

सं0 2/सी03–30209/2005 –सा0प्र0—**11328**

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

6 अगस्त 2015

श्री अरशद अली, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–540/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–117 दिनांक 27.01.2006 द्वारा प्राप्त अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति, कर्त्तव्योपेक्षा, आदेश अवहेलना, प्रखण्ड परिसर में हरे रबर के पेड़ को काटने, इंदिरा आवास योजना में अनियमितता एवं राशि गबन तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में अनियमितता बरतने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6951 दिनांक 20.07.2009 द्वारा श्री अली के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–206 दिनांक 28.01.2014 द्वारा प्राप्त आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सभी छः आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक–5816 दिनांक 30.04.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन के संबंध में श्री अली से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के संगत प्रावधानों के तहत् प्रमाणित आरोपों के लिए अभ्यावेदन की मांग की गयी किन्तु श्री अली द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरशद अली, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–540/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2313 दिनांक 11.02.2015 द्वारा निम्नांकित दण्ड दिया एवं संसूचित किया गया :–

(क) निन्दन (वर्ष 2003–04)।

(ख) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।

श्री अली द्वारा उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 30.03.2015 जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 710 दिनांक 02.05.2015 द्वारा प्राप्त हुआ। पुनर्विलोकन अर्जी में श्री अली का कहना है कि विभागीय

कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा इन्हें हर तिथि को नहीं बुलाया गया और गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। अभ्यावेदन माँगे जाने संबंधी पत्र इन्हें नहीं मिलने के कारण इनके द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया जा सका। इनके विरूद्ध निर्गत दंडादेश भी सकारण नहीं है। दंडादेश में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन से आरोप प्रमाणित माने गये हैं और कौन से आरोप प्रमाणित नहीं माने गये हैं। इनके द्वारा कतिपय न्यायादेशों का उल्लेख करते हुए विभागीय कार्यवाही एवं दंडादेशों के संदर्भ में इनके अनुसार निहित खामियों का उल्लेख किया गया है और पूरी कार्रवाई को दोषपूर्ण बताया गया है परन्तु, पूरे अभ्यावेदन में इनके द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के गुण–अवगुण अथवा उनकी प्रमाणिकता के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा गया है।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही में निर्धारित कुल 34 तिथियों में से आरोपी श्री अली मात्र 2 तिथियों को ही संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अतः श्री अली का यह कहना कि विभागीय कार्यवाही में उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, स्वीकारयोग्य नहीं है। अभ्यावेदन मांगने से संबंधित विभागीय पत्रांक 5818 दिनांक 30.04.2014 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2313 दिनांक 11.02.2015 द्वारा संसूचित दंडादेश एक ही पते पर प्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त दंडादेश का प्राप्त हो जाना तथा अभ्यावेदन संबंधी पत्र का अप्राप्त रहने के संबंध में श्री अरशद अली का कथन स्वीकारयोग्य नहीं है।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2313 दिनांक 11.02.2015 द्वारा संसूचित दंडादेश पूर्णतः सकारण आदेश है। श्री अली के द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के माध्यम से इनके विरूद्ध प्रतिवेदित तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के गुण–अवगुण अथवा इसकी प्रमाणिकता के संदर्भ में तथ्यों/अभिलेखों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए था किन्तु, पूरे अभ्यावेदन में प्रतिवेदित आरोपों के गुण–अवगुण अथवा इसकी प्रमाणिकता के संदर्भ में इनके द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। उक्त के आलोक में श्री अली का पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकारयोग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अरशद अली, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–540/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2313 दिनांक 11.02.2015 द्वारा इनके विरूद्ध '' **निन्दन (वर्ष 2003–04)** एवं **संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक**'' के संसूचित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरशद अली, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–540/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2313 दिनांक 11.02.2015 द्वारा इनके विरूद्ध '' **निन्दन (वर्ष 2003–04)** एवं **संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक**'' के संसूचित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (**असाधारण**) 542–571+10–**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in